



2026:AHC:17191

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45905 सन् 2025

तारक नाथ

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: संजय कुमार राय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी ,सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / तहसीलदार, तहसील सकलडीहा, ग्राम-रामौली, जिला चन्दौली को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत मूल सिविल वाद संख्या 3936 / 2022 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202214180303936), गाँव सभा बनाम तारक नाथ, में याची के दिनांक 17.03.2025 के पुनर्स्थापना आवेदन, पुनर्स्थापना संख्या आरएसटी 13216 / 2025, को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
3. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 - सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / तहसीलदार, तहसील सकलडीहा, ग्राम-रामौली, जिला चन्दौली याची द्वारा दायर उक्त वाद को शीघ्रता से, तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जनवरी, 2026

स्वाति

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।